(81)

PBR/निगरानी/मंदसौर/भू-रा/2017/1970

न्यायालय म.प्र. राजस्व मण्डल मोती महल ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण कमांक–

रमेश पिता कंवरलाल बलाई, आयु– 31 वर्ष ....आवेदक
निवासी बर्डिया अमरा तह. गरोठ जिला मन्दसौर

10

विरूद्व

धीरपसिंह पिता देवीसिंह सौंधिया, आयु– 19 वर्ष .... अनावेदक
निवासी डिडोर परगना गरोठ जिला मन्दसौर

R. M.
श्री राजकुमार गुप्ता द्वारा
अभिभाषक द्वारा
प्रस्तुत
30/5/2017

// आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता 1959
कार्यालय राजस्व अधिक्षक गरोठ के सीमांकन प्रकरण कमांक 1/अ12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.03.2017 से परिवादित होकर निगरानी निम्नानुसार प्रस्तुत है //

माननीय महोदय,

रिविजन के संक्षिप्त तथ्य यह है कि :–

227-228
16-6-17

1. यह कि आवेदक की ग्राम बर्डिया अमरा तहसील गरोठ में भूमि स्वामित्व स्वत्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे कमांक 1064 क्षेत्रफल 0.200 स्थित है।

2. यह कि उपरोक्त भूमि से लगी भूमि सर्वे नंबर 1063 क्षेत्रफल 0.620 ... पिता देवा बलाई के स्वामित्व की रही है।

3. यह कि अनावेदक के पिता देवीसिंह जो की आपराधिक प्रवृति के होकर उदा से अपने पुत्र अनावेदक के नाम से विकय विलेख/विकय पत्र सर्वे कमांक 1063 क्षेत्रफल 0.620 का करवाया गया, जबकि मौके पर भूमि स्थित नहीं है, और न ही भूमि कृषि भूमि है और न ही मौके पर विकेता का कब्जा है, और न ही विकेता द्वारा विकय पत्र ... निष्पादन के समय बिकित भूमि का कब्जा दिया गया है।

4. यह कि उक्त भूमि का सीमांकन अनावेदक द्वारा दिनांक 08.03.2017 को राज... अधिकारी से करवाया गया और उक्त सीमांकन की सूचना आवेदक और अन्य पड़ो... कृषको को नहीं दी गई, और सीमांकन में आवेदक के स्वामित्व की भूमि सर्वे नं... 1064 रकबा 0.200 जिस पर आवेदक का बाड़ा व दीवाल बनी हुई है व बागड़ ल... हुई है व 100 वर्ष पुराना पीपल का पेड़ बाप दादा का लगाया हुआ स्थित है, जि... अनावेदक की भूमि सर्वे नंबर 1063 की सीमा बताई गई है, जिससे उत्पीडीत हो... रिविजन प्रार्थना पत्र निम्न आधारों पर न्यायदान हेतु प्रस्तुत है –

(3)

XXIX(a)-BR(H)-11

(81)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/मंदसौर/भू.रा./2017/1970

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
10/1/19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री ए.आर. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी राजस्व निरीक्षक के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को कलेक्टर, जिला मंदसौर के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	